

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०,
जगत नारायण रोड, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प०क०/०८-प्रशि०/आ०यो०/दिशा-निर्देश/Vol-2/2018-19/

दिनांक: १०.०८.२०१८

विषय: २३ अगस्त, २०१८ को आशा सम्मेलन मनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आशा योजना लागू किये जाने की वर्षगांठ २३ अगस्त, २०१८ को आशा दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में जनपद स्तर पर आशा सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। इन सम्मेलनों में आशाओं को विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ प्रत्येक ब्लॉक से सर्वश्रेष्ठ आशाओं को सम्मानित भी किया जायेगा। साथ ही जनपद में कार्यरत श्रेष्ठ आशा संगिनियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आशा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुदाय में आशा की भूमिका को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाना है। आशाओं को इस बात का एहसास दिलाना है कि प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाने तथा समुदाय को प्रेरित करने में उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

आशा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली जनपद स्तरीय सम्मेलन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र में दिये जा रहे हैं जिनके आधार पर कार्यवाही की जानी है।

आशा दिवस/सम्मेलन की रूपरेखा

जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले इस एक दिवसीय सम्मेलन में मुख्यतया आशाओं को उनके कार्य के बारे में जानकारी देना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना एवं विगत वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यों के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित सर्वश्रेष्ठ आशा को पुरस्कार दिया जाना सम्मिलित है। इस सम्मेलन का प्रस्तावित एजेण्डा संलग्नक-१ पर दिया गया है जिसके आधार पर जनपदीय आशा नोडल अधिकारी, जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के साथ मिलकर अपने जनपद के लिये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे।

आशा सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये जनपद के प्रभारी मंत्री अथवा जिला परिषद के अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

आशा सम्मेलन हेतु आमंत्रण

- यह सुनिश्चित किया जाय कि आशा सम्मेलन में ९० प्रतिशत ग्रामीण आशाओं एवं समस्त शहरी आशा एवं समस्त आशा संगिनियों को सम्मिलित किया जाय।
[यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक उपकेन्द्र/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से कम से कम एक आशा अवश्य प्रतिभाग करे। आशा को सम्मेलन स्थल तक आने व जाने के लिये रु० १००/- प्रति आशा की दर से परिवहन भत्ता दिया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से दो-दो ए०एन०एम० व दो-दो ग्राम प्रधानों को अवश्य बुलाया जाये तथा इनमें महिला प्रधानों को प्राथमिकता दी जाय। इस कार्य में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाय तथा सम्मेलन में आशाओं के साथ ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी प्रतिभाग करें। जहाँ तक सम्भव हो आशा सम्मेलन में रीजनल आशा को-ऑर्डिनेटर द्वारा भी अवश्य प्रतिभाग किया जाय।]
- मुख्य अतिथि के अलावा जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त विकास कार्यक्रमों से जुड़े हुए जनपद स्तरीय अधिकारियों (विशेषतया पंचायतीराज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास विभाग आदि) को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया जाय। जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों को भी प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाय। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अधिकारी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। जनपद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

3. आशा सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु मण्डल स्तरीय अधिकारी यथा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संयुक्त निदेशक, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एवं आशा रीजनल को-ऑर्डिनेटर को भी आमंत्रित किया। राज्य स्तर पर महानिदेशक परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सम्मेलन की तैयारी के विषय में जानकारी व आमंत्रण भेजा जाये। मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधकों को आशा सम्मेलन के लिये की गयी तैयारियों से अवश्य अवगत करा दिया जाये जिससे वह अपने स्तर से सम्मेलन के आयोजन से पूर्व समीक्षा कर सकें।

पुरस्कार हेतु आशा का चयन

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आशाओं द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में किये गये कार्यों के आधार पर दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड से सर्वश्रेष्ठ आशाओं को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। जिला स्वास्थ्य समिति की अनुमोदित प्रति ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त आशाओं की सूची स्वास्थ्य केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय।

सर्वश्रेष्ठ 3 आशाओं का चयन सम्बन्धित विकास खण्ड स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक की सर्वसम्मति से निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगा :

सर्वश्रेष्ठ कार्य के मानक-

क्र०सं०	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिशत
1	आशा द्वारा अपने क्षेत्र में कराये गये उन संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रु० 600/- प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या	
3	आशा के कार्यक्षेत्र में आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	
4	आशा द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रु० 250/- प्राप्त हुआ हो।	
	उपर्युक्त मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

1. आशा द्वारा क्षेत्र से संस्थागत प्रसव कराना

क- आशा द्वारा कराये गये संस्थागत प्रसव

ख- आशा के क्षेत्र में सम्भावित प्रसव की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)=

जन्म दर × जनसंख्या / 1000

संस्थागत प्रसव प्रतिशत = $\frac{क \times 100}{ख}$

2. आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे

क- गाँव में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या

ख- कुल 0-1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या

पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत = $\frac{क \times 100}{ख}$

3. स्थायी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग हेतु प्रेरणा-

आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित लाभार्थियों की संख्या × 100/10

4. आशा द्वारा एच.बी.एन.सी.कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या $\times 100 / 25$

उदाहरण—आशा राधा देवी, जनपद—पीलीभीत, ब्लॉक—बीसलपुर के ग्राम पिपरिया में कार्यरत हैं, जिसकी आबादी 1400 है। पीलीभीत की जन्मदर 30 प्रति हजार है। राधा देवी द्वारा वर्ष 2017-18 में 25 संस्थागत प्रसवों हेतु प्रोत्साहन राशि 600 रु0 प्रति प्रसव प्राप्त हुई है। वर्ष 2017-18 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 27 है। राधा देवी द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 पुरुष व 3 महिलाओं को स्थायी गर्भनिरोधक साधनों हेतु प्रेरित कर सुविधा प्रदान कराई गयी। इसके अतिरिक्त राधा देवी द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या 15 है, जिस हेतु राधा देवी को रु0 250 प्रति केस में प्रदान किया गया है।

राधा देवी के औसत प्रतिशत की गणना निम्न अनुसार की जायेगी—

1. कुल सम्भावित प्रसव— $30 \times 1400 / 1000 = 42$
संस्थागत प्रसव—25
प्रतिशत— $(25 \times 100) / 42 = 59.52\%$
2. ग्राम पिपरिया में कुल 0-1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या— $30 \times 1400 / 1000 = 42$
पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि=27
पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि का प्रतिशत— $27 \times 100 / 42 = 64.29 \%$
3. परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत— $4 \times 100 / 10 = 40\%$
4. एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या $15 \times 100 / 25 = 60\%$
- 5 औसत प्रतिशत— $(59.52 + 64.29 + 40 + 60) / 4 = 55.95\%$

प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार औसत प्रतिशत के आधार पर ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ आशाओं का चयन कर विवरण सहित अपनी संस्तुति मुख्य चिकित्साधिकारी को दी जायेगी। जिनके द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में विकास खण्डवार सर्वश्रेष्ठ आशा के चयन पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इन आशाओं को सम्मेलन में अवश्य आमंत्रित किया जाय एवं उन्हें सम्मेलन के दौरान पुरस्कार वितरित किये जायें। प्रत्येक ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ आशा को प्रमाण—पत्र एवं रु0 5000 की धनराशि पी.एफ.एम.एस. द्वारा वितरित की जायेगी। आशा अवार्ड की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी 1.1.4 (नवीन एफ0एम0आर0 कोड संख्या 3.1.3.3) के अंतर्गत सभी जनपदों को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्तर से अवमुक्त की जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त औसत प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक की द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली आशाओं को भी पुरस्कृत करने का प्राविधान है। जिसके अन्तर्गत क्रमशः रु0 2000 /— एवं रु0 1000 /— की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी, जिसे आशा सम्मेलन हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी 1.1.3.7.1 (नवीन एफ0एम0आर0 कोड संख्या 3.1.3.3) अनुमन्य धनराशि में व्यय किया जायेगा।

पुरस्कार हेतु आशा संगिनी का चयन

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आशा संगिनियों द्वारा अपने निर्धारित क्लस्टर (कार्यक्षेत्र) में किये गये कार्यों के आधार पर दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ आशा संगिनियों को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। प्रत्येक विकास खण्ड से सर्वश्रेष्ठ 3 आशा संगिनियों का चयन सम्बन्धित ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक की सर्वसम्मति से निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगा एवं जनपद स्तर पर प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् जनपद स्तर पर प्राप्त समस्त संगिनियों की सूची में से सर्वश्रेष्ठ 3 आशा संगिनियों को जनपद स्तर पर मानकानुसार चयन किया जायेगा एवं उन्हीं को आशा सम्मेलन में सम्मानित/पुरस्कृत किया जायेगा।

आशा संगिनी पुरस्कार प्रारूप -

क्र०सं०	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिशत
1	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपने क्षेत्र में कराये गये उन संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें आशाओं को प्रति केस रु0 600/- प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं के कार्यक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या (0-1 वर्ष तक)	
3	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं के कार्यक्षेत्र में आशा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक साधन अपनाने वाले लाभार्थियों की संख्या	
4	आशा द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रु0 250/- प्राप्त हुआ हो।	
5	आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं का मासिक औसत आशा भुगतान (नियमित गतिविधियाँ, जे0एस0वाई0, आर0आई0 एवं परिवार नियोजन)	
	उपर्युक्त चार मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

सर्वश्रेष्ठ आशा संगिनी कार्य के मानक

1. आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा संस्थागत प्रसव कराना

क- आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा कराये गये कुल संस्थागत प्रसव

ख- आशा संगिनी के क्षेत्र में सम्भावित प्रसव की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)=

जन्म दर × जनसंख्या / 1000

संस्थागत प्रसव प्रतिशत = $\frac{क \times 100}{ख}$

2. आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे

क- आशा संगिनी के क्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या

ख- आशा संगिनी के क्षेत्र में कुल 0-1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या

पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत = $\frac{क \times 100}{ख}$

3. स्थायी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग हेतु प्रेरणा-

आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित लाभार्थियों की संख्या × 100/200

4. आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी.

हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या × 100 / 500

5. आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं का मासिक औसत भुगतान प्रतिशत-

आशा संगिनी के क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं द्वारा प्राप्त कुल चार मद (नियमित गतिविधियाँ, जे0एस0वाई0, आर0आई0 एवं परिवार नियोजन) में मासिक प्रतिपूर्ति राशि × 100 / 2500

उदाहरण- श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी), ब्लॉक-महरोनी जनपद-झांसी में कार्यरत है, जिनके क्लस्टर की जनसंख्या 22000 है। झांसी की जन्मदर 25 प्रति हजार है। श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी) के क्लस्टर में कार्यरत समस्त 20 आशाओं द्वारा वर्ष 2017-18 में 180 संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि 600 रु0 प्राप्त हुई है। वर्ष 2017-18 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 500 है व परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 पुरुष व 60 महिलाओं को स्थायी गर्भनिरोधक साधनों हेतु प्रेरित कर सुविधा प्रदान करायी गयी। लक्ष्मी देवी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या 400 है। श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी) के क्षेत्र में समस्त आशाओं का औसत आशा भुगतान रु 1800/- है। श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी) के औसत प्रतिशत की गणना निम्न मानक के अनुसार की जायेगी-

$$1. \text{ कुल सम्भावित प्रसव} = 25 \times 22000 / 1000 = 550$$

संस्थागत प्रसव-180

$$\text{प्रतिशत} = (180 \times 100) / 550 = 32.72\%$$

$$2. \text{ कुल 0-1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या} = 25 \times 22000 / 1000 = 550$$

पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि=500

$$\text{पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि का प्रतिशत} = 500 \times 100 / 550 = 90.90 \%$$

$$3. \text{ परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत} = 70 \times 100 / 200 = 35\%$$

$$4. \text{ एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या} = 400 \times 100 / 500 = 80\%$$

$$5. \text{ औसत आशा भुगतान प्रतिशत} = 1800 \times 100 / 2500 = 72\%$$

$$\text{औसत प्रतिशत} = (32.72 + 90.90 + 35 + 80 + 72) / 5 = 62.12\%$$

दिशा-निर्देश के साथ संलग्न प्रारूप-1 ब्लॉक की समस्त आशा संगिनियों को प्रदान किया जायेगा। आशा संगिनी एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रारूप अपने क्लस्टर की समस्त आशाओं द्वारा किये गये कार्यों का विवरण भरकर ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् ब्लॉक स्तर से समस्त संगिनियों से सूचना प्राप्त कर प्रारूप-2 में संकलित करके जनपद स्तर पर प्रेषित किया जायेगा। जनपद स्तर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा समस्त ब्लॉकों से प्राप्त रिपोर्टों को प्रारूप 3 पर संकलित एवं मूल्यांकन करके सर्वश्रेष्ठ 3 आशा संगिनियों का चयन किया जायेगा। जिसका अनुमोदन जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त किया जायेगा।

समस्त आशा संगिनियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाये जिसमें जनपद की सर्वश्रेष्ठ 3 आशा संगिनियों को पुरस्कृत किया जायेगा। औसत प्रतिशत के आधार पर जनपद की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली आशा संगिनियों को क्रमशः रु0 5000, रु0 3000 एवं रु0 2000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप PFMS के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की जायेगी। आशा संगिनी पुरस्कार की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी 1.1.4 (नवीन एफ0एम0आर0 कोड संख्या 3.1.3.3) के अंतर्गत सभी जनपदों को डैप के माध्यम से मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर से अवमुक्त की जा चुकी है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मेलन के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर PFMS के माध्यम से समस्त पुरस्कृत आशा/आशा संगिनियों के पुरस्कार की धनराशि एवं यात्रा भत्ता आशाओं/आशा संगिनियों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाए।

आशा सम्मेलन हेतु वित्त व्यवस्था

जनपदीय आशा सम्मेलनों के लिये आयोजन पर होने वाले अनुमन्य व्यय का विवरण निम्नवत् है। इस कार्यक्रम के लिये अवमुक्त धनराशि का व्यय नीचे दी गयी तालिका में अंकित निर्धारित सीमा से अधिक न किया जाये।

अनुमन्य व्यय हेतु मानक

क्र०सं०	मद	दर
1	भोजन व्यवस्था	रु 75/- प्रति आशा
2	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु	रु 4000/-
3	सम्मेलन व्यवस्था (कुर्सी, मेज, माईक, बैनर एवं अन्य)	1. 500 आशाओं की उपस्थिति तक रु 15000/- 2. 750-1000 आशाओं की उपस्थिति तक रु 20000/- 3. 1000 आशाओं से अधिक रु 25000/-
4	आशाओं हेतु सामग्री किट फोल्डर, प्रचार-प्रसार सामग्री, पम्पलेट आदि	रु 50/- प्रति आशा
5	आशाओं के आने-जाने हेतु	रु 100/- प्रति आशा
6	कन्टीजेन्सी, फोटोग्राफी, वीडियो फिल्म आदि	रु 8000/-
7	ब्लॉक की द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आशाओं हेतु पुरस्कार की धनराशि	रु 3000/- (2000+1000=3000) प्रति विकास खण्ड FMR Code B.1.1.3.7.1 (नवीन एफ०एम०आर० कोड संख्या 3.1.3.3) से वहन किया जाय

सम्मेलन के आयोजन की धनराशि इस शर्त के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की जा रही है कि आयोजन के पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा धनराशि के 75 प्रतिशत का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। सम्मेलन के आयोजन के उपरान्त सम्मेलन की रिपोर्ट व्यय विवरण सहित जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत कर शेष आवश्यक धनराशि का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजन/भुगतान किया जाय।

आशा सम्मेलन के आयोजन एवं पुरस्कार हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों को निम्न तालिका अनुसार धनराशि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कि स्तर से अवमुक्त की जा चुकी है-

Sl	Name of District	No. of ASHA and ASHA Sangini	ASHA Sammelan	ASHA Award	Total
			B1.1.3.7.1(नवीन एफ०एम०आर० कोड संख्या 3.1.3.3)	B1.1.4 (नवीन एफ०एम०आर० कोड संख्या 3.1.3.3)	
1	Agra	2886	865800	85000	950800
2	Aligarh	3080	924000	70000	994000
3	Allahabad	4448	1334400	110000	1444400
4	Ambedkarnagar	2253	675900	55000	730900
5	Amethi	2113	633900	75000	708900
6	Amroha	1394	418200	40000	458200
7	Auraiya	1190	357000	45000	402000
8	Azamgarh	3766	1129800	120000	1249800
9	Baghpat	998	299400	40000	339400
10	Bahraich	3018	905400	80000	985400
11	Ballia	2779	833700	95000	928700
12	Balrampur	1859	557700	55000	612700
13	Banda	1437	431100	50000	481100

14	Barabanki	2936	880800	85000	965800
15	Bareilly	2920	876000	85000	961000
16	Basti	2225	667500	80000	747500
17	Bijnor	2947	884100	65000	949100
18	Budaun	2482	744600	85000	829600
19	Bulandsahr	2321	696300	90000	786300
20	Chandauli	1850	555000	55000	610000
21	Chitrakoot	791	237300	35000	272300
22	Deoria	2738	821400	90000	911400
23	Etah	1429	428700	50000	478700
24	Etawah	1336	400800	50000	450800
25	Faizabad	2181	654300	65000	719300
26	Farrukhabad	1500	450000	45000	495000
27	Fatehpur	2210	663000	75000	738000
28	Firozabad	1772	531600	55000	586600
29	Gautambudhnagar	650	195000	30000	225000
30	Ghaziabad	904	271200	30000	301200
31	Ghazipur	3404	1021200	90000	1111200
32	Gonda	2994	898200	90000	988200
33	Gorakhpur	3679	1103700	105000	1208700
34	Hamirpur	897	269100	45000	314100
35	Hapur	811	243300	30000	273300
36	Hardoi	3367	1010100	105000	1115100
37	Hathras	1153	345900	45000	390900
38	Jalaun	1203	360900	55000	415900
39	Jaunpur	3912	1173600	115000	1288600
40	Jhansi	1309	392700	50000	442700
41	Kannauj	1388	416400	50000	466400
42	Kanpur Dehat	1622	486600	60000	546600
43	Kanpur Nagar	1915	574500	60000	634500
44	Kasganj	1097	329100	45000	374100
45	Kaushambhi	1564	469200	50000	519200
46	Kushinagar	3205	961500	80000	1041500
47	Lakhimpur Khiri	3340	1002000	85000	1087000
48	Lalitpur	924	277200	40000	317200
49	Lucknow	2029	608700	50000	658700
50	Maharajganj	2509	752700	70000	822700
51	Mahoba	676	202800	30000	232800
52	Mainpuri	1780	534000	55000	589000
53	Mathura	1603	480900	60000	540900
54	Mau	1788	536400	55000	591400
55	Meerut	2178	653400	70000	723400
56	Mirzapur	2052	615600	70000	685600
57	Moradabad	2303	690900	50000	740900
58	Muzaffarnagar	1910	573000	55000	628000
59	Pilibhit	1464	439200	45000	484200

60	Pratapgarh	2880	864000	95000	959000
61	Raebareli	2539	761700	100000	861700
62	Rampur	1671	501300	40000	541300
63	Saharanpur	2753	825900	65000	890900
64	Sambhal	1709	512700	50000	562700
65	Sant Kabir Nagar	1607	482100	55000	537100
66	Sant Ravidas Nagar	1303	390900	40000	430900
67	Shahjahanpur	2567	770100	85000	855100
68	Shamli	888	266400	35000	301400
69	Srawasti	1136	340800	35000	375800
70	Siddharth Nagar	2388	716400	80000	796400
71	Sitapur	3768	1130400	105000	1235400
72	Sonbhadra	1483	444900	50000	494900
73	Sultanpur	2438	731400	75000	806400
74	Unnao	2530	759000	90000	849000
75	Varanasi	2255	676500	50000	726500
Total		156404	46921200	4850000	51771200

प्रस्तावित रूपरेखा (एजेण्डा)

क्र०सं०	आयोजन बिन्दु	समय
1	आशाओं का ब्लॉकवार पंजीकरण	प्रातः 9:00-10:00 बजे तक
2	उद्घाटन	प्रातः 10:00 बजे
3	ईश्वरीय वन्दना	प्रातः 10:15 बजे
4	आशा सम्मेलन का उद्देश्य व महत्ता मुख्य चिकित्साधिकारी का सम्बोधन	प्रातः 10:30 बजे
5	उत्कृष्टता पुरस्कार	प्रातः 10:45 बजे
6	मुख्य अतिथि एवं जिला स्तरीय अधिकारियों का सम्बोधन	प्रातः 11:15 बजे
7	- उत्तर प्रदेश में आशाओं की जिम्मेदारियों पर संभाषण-सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी - सांस्कृतिक कार्यक्रम (लोक नृत्य, लघु नाटक प्रहसन)-आशाओं द्वारा - एन.एच.एम. के अन्तर्गत इस वर्ष आशाओं हेतु योजनाओं व प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में जानकारी-सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी - जादूगर का प्रदर्शन - जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं जननी सुरक्षा योजना पर चर्चा-सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर चर्चा-सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी - लोकगीत गायन/वाद-विवाद प्रतियोगिता, विजयआदि - आशाओं के लिये (कार्यक्रम के दौरान समय पर भोजन अच्छे कैटर के माध्यम से हाईजैनेनिक पौष्टिक भोजन के डिब्बों का वितरण)	प्रातः 12:00-4:00 बजे तक
8	कार्यक्रम का समापन	4:00 बजे तक

* सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फिल्मी गानों को न गाया जाय और न ही उन पर नृत्य किया जाय। भालीनता का पालन किया जाय। केवल स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार वाले लोक गीत, नाटक, बिरहा, रागनी, आल्हा, सोहर, जादू का प्रदर्शन, कठपुतली आदि का प्रदर्शन अनुमत्त होंगे।

अनुश्रवण-

राज्य स्तर के अधिकारी, राज्य आशा मॉटरिंग समूह के सदस्य एवं मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय संयुक्त निदेशक तथा मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधकों को सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यक्रम का अनुश्रवण कराये।

जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर अपरान्ह 12:00 बजे व 4:00 बजे आशाओं एवं संगिनियों के पंजीकरण रजिस्टर में आशाओं एवं संगिनियों की संख्या नोट कर रीजनल कोऑर्डिनेटर/मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधकों को एस0एम0एस0 द्वारा सूचित करेंगे, रीजनल कोऑर्डिनेटर/मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक सायं 7:00 बजे संकलित सूचना ई-मेल के माध्यम से महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस को अवगत करायेंगे। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आशा संगिनी सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं कर पायेंगी तो इसकी सूचना पूर्व में जनपद स्तर पर, मण्डल स्तर पर एवं राज्य स्तर पर अवश्य दें। समस्त जनपद प्रत्येक दशा में आशा सम्मेलन की रिपोर्ट कार्यक्रमों के अगले दिन निम्न प्रारूप पर अवश्य प्रेषित करें।

आशा सम्मेलन रिपोर्टिंग प्रपत्र		
1	जनपद का नाम	
2	जनपद में कुल आशाओं की संख्या	
3	प्रतिभाग करने वाली कुल आशाओं की संख्या	
4	प्रतिभाग करने वाली कुल आशाओं का प्रतिशत	
5	अन्य प्रतिभागियों की संख्या	
6	कुल प्रतिभागियों की संख्या	
7	मुख्य अतिथि	
8	जनप्रतिनिधि का नाम व विवरण	
9	मण्डलायुक्त	
10	जिलाधिकारी	
11	अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
12	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
13	मुख्य चिकित्साधिकारी	
14	सी0डी0ओ0	
15	जिला पंचायतराज अधिकारी	
16	जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0	
17	जनपद स्तरीय अन्य अधिकारी	
18	मण्डलीय परियोजना प्रबंधक	
19	राज्य स्तरीय अधिकारी/राज्य स्तरीय आशा मॉटरिंग के सदस्य	
20	अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि	
21	टिप्पणी	

विस्तृत जनपदीय रिपोर्ट जिसमें पुरस्कृत आशाओं के नाम, सम्मेलन के फोटोग्राफ, समाचार पत्र-पत्रिकाओं से प्रकाशित समाचार, फोटोग्राफ सी0डी0 आदि 10 सितम्बर, 2018 तक अवश्य महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस एवं संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, परिवार कल्याण, महानिदेशालय के पास उपलब्ध करायेंगे जिससे इन फोटोग्राफ आदि को यू0पी0 एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डा0 नीना गुप्ता)

महानिदेशक,

परिवार कल्याण

208

तददिनांक

पत्रांक:प0क0/08-प्रशि0/आ0यो0/दिशा-निर्देश/Vol-2/2018-19/2588-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।

समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।

वित्त नियंत्रक / समस्त महाप्रबंधक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।

समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक / जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, उ०प्र०।

समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपयुक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।

महाप्रबंधक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण